



बिहार आजाद

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र 1928 (श०)

(सं० पटना 240 )

पटना, बृहस्पतिवार 22 मार्च, 2007

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

अधिसूचना

20 मार्च, 2007

संख्या-मं०मं०-01/आर०-02/2007-602-भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-01 दि० नं० 16 जनवरी 1979 द्वारा बनाई गई बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

- 1) उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची तथा सचिवालय विभागों के बीच कार्य का वर्गीकरण और वितरण संलग्न सूची के अनुसार प्रतिस्थापित की जाती है।
- 2) उक्त नियमावली का नियम-6(ii) के अन्तर्गत मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा नियमावली के द्वितीय अनुसूची में प्रतिस्थापित समझा जाएगा।
- 3) उक्त नियमावली के भाग-3 "कार्य का विभाग द्वारा निबटारा" शीर्ष के नियम-21 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है -  
 "किरी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, सभी मामले साधारणतः प्रभारी मंत्री एवं उनके अधिकार में निपटाए जायेंगे, किन्तु इस नियमावली की अनुसूची-4 में दी गई तालिका में वर्णित मामलों का निपटारा तालिका में वर्णित प्राधिकारी स्तर पर किया जा सकेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य मामलों के निपटारे के लिए भी प्रभारी मंत्री के निर्देश पर स्थायी आदेश द्वारा यथोचित व्यवस्था की जा सकेगी। ऐसे सभी आदेशों की प्रतियाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी जायेंगी।"
- 4) नियम-21 के अधीन अनुसूची-4 अलग से संलग्न है, जो कार्यपालिका नियमावली का भाग होगा।
- 5) नियम 22(2) से लेकर नियम-22(6) तक में दिये गये प्रावधानों तथा नियम 32 (क) (ix) (i) एवं 32 (ix) (ii) में उल्लिखित प्रावधानों को समेटित कर उन्हें निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :-

"22(3): राजपत्रित राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, विभागीय मंत्री द्वारा किया जा सकेगा।

टिप्पणी : बेसिक ग्रेड से अभिप्राय बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत उपसमाहर्ता, बिहार आरक्षी सेवा में कार्यरत आरक्षी उपधीक्षक, बिहार अभियंत्रण सेवा में कार्यरत सहायक अभियंता आदि से है।"

"22(4): राजपत्रित राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से ऊपर के दो ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, विभागीय मंत्री द्वारा किया जा सकेगा।"

टिप्पणी : बेसिक ग्रेड से ऊपर के दो ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों से अभिप्राय बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारी, बिहार आरक्षी सेवा में कार्यरत अनुमंडल आरक्षी उपधीक्षक तथा अपर आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी, बिहार अभियंत्रण सेवा में कार्यरत कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारियों आदि से है।"

"22(5) उपर्युक्त नियम 22(3) एवं 22(4) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न, राज्य सेवा के अन्य पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव, विभागीय मंत्री द्वारा किया जा सकेगा।"

के विचारार्थ उपस्थापित किये जायेंगे, किन्तु आदेश-निकालने के पूर्व उन्हें सम्बद्ध विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा, मुख्य सचिव के मार्फत, मुख्यमंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित किया जायेगा।"

**टिप्पणी :** वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों से अभिप्राय विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता, निदेशक, अभियंता-प्रमुख आदि के स्तर के पदाधिकारियों से है।"

"22(5)(i) : विभागाध्यक्षों की नियुक्ति या विभागाध्यक्षों के पदों पर प्रोमोशन के सभी प्रस्ताव तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव, विभागीय सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के पदस्थापन के प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद, किन्तु आदेश निकालने के पूर्व, सम्बद्ध विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा, मुख्य सचिव के मार्फत, मुख्यमंत्री के आदेशार्थ, उपस्थापित किये जायेंगे।"

"22(5)(ii) : ऐसे पर्यवेक्षकीय स्तर के सरकारी सेवक, जो राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। कार्यालयों के प्रधान भी इस कोटि के सेवकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कर सकेंगे।"

**टिप्पणी -** इस श्रेणी अन्तर्गत आने वाले पर्यवेक्षकीय कर्मियों से अभिप्राय कनिष्ठ अभियंता, अग्रणी निरीक्षक, आरम्भिक निरीक्षक, प्राथमिक पर्यवेक्षक, प्रखण्ड कृषि विस्तार पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा विस्तार पदाधिकारी आदि से है।"

6) कार्यपालिका नियमावली के नियम-30 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :-

"रोजमर्ग के अधिकांश मामूली ढंग के पत्रों से निम्न, भारत सरकार से प्राप्त अधिकांश पत्र गहत्व से संबंधित सभी सरकारी पत्रादि प्राप्त होते ही (जिनमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से प्राप्त होने वाले पत्र भी शामिल हैं), उन्हें तुरन्त सम्बद्ध प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित पत्रों की प्रतिलिपि तैयार कर, उन्हें प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी अवलोकनार्थ भेजा जायेगा।"

7) सवत नियमावली की तृतीय अनुसूची में निम्न रूप में संशोधन करने का प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(i) कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या-22 के नीचे अंकित टिप्पणी को संशोधित कर निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**टिप्पणी -** प्रशासी विभाग, ऐसे सभी अस्थायी पदों को कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्थाई कर सकेगा जो पिछले 5 (पांच) वर्षों से लगातार अवधि विस्तारित होते रहे हैं और जिनके भविष्य में भी बने रहने की पूर्ण संभावना है। पांच वर्षों से कम अवधि वाले अस्थाई पदों तथा पांच वर्ष एवं उससे अधिक की अवधि से चले आ रहे ऐसे अन्य अस्थाई पदों (राजपत्रित पदों सहित), जिन्हें किसी कारणवश स्थाई नहीं किया जा सका है, का अवधि विस्तार प्रशासी विभाग, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श प्राप्त कर, अपने स्तर से कर सकेगा, बशर्त कि इसके लिये बजट प्रावधान उपलब्ध हो।

(ii) बिहार कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या-31 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**मद संख्या-31 -** राज्य की आकस्मिकता निधि से 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक अग्रिम के लिये प्राधिकृत करने का प्रस्ताव।

(iii) कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या-35 टिप्पणी (iii) के प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मद संख्या-35

टिप्पणी - मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में, विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8) अधिसूचना की कंडिका (1) में उल्लिखित विभागों के पुनर्गठन संबंधी कार्यपालिका नियमावली में संशोधन दिनांक-01 अप्रैल, 2007 से लागू होंगे। अधिसूचना के शेष अंश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गिरीश शंकर)  
सरकार के सचिव

**प्रथम अनुसूची**

क्रमांक	पुनर्गठित विभाग
01.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
02.	संसदीय कार्य विभाग
03.	निगरानी विभाग
04.	निर्वाचन विभाग
05.	गृह विभाग
06.	आपदा प्रबंधन विभाग
07.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
08.	वित्त विभाग
09.	वाणिज्य कर विभाग
10.	परिवहन विभाग
11.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
12.	योजना एवं विकास विभाग
13.	ग्रामीण विकास विभाग
14.	पंचायती राज विभाग
15.	ग्रामीण कार्य विभाग
16.	नगर विकास एवं आवास विभाग
17.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
18.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
19.	समाज कल्याण विभाग
20.	अल्प संख्यक कल्याण विभाग
21.	स्वास्थ्य विभाग
22.	मानव संसाधन विकास विभाग
23.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
24.	सूचना प्रावैधिकी विभाग
25.	उद्योग विभाग
26.	गन्ना उद्योग विभाग
27.	खान एवं भूतत्व विभाग
28.	पर्यावरण एवं वन विभाग
29.	कृषि विभाग
30.	सहकारिता विभाग
31.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
32.	ऊर्जा विभाग
33.	जल संसाधन विभाग
34.	लघु जल संसाधन विभाग
35.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
36.	पथ निर्माण विभाग
37.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग
38.	पर्यटन विभाग
39.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
41.	श्रम संसाधन विभाग
42.	खादय एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग
43.	विधि विभाग
44.	भवन निर्माण विभाग
	कुल विभाग

## सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वगीकरण और वितरण की सूची :-

### 1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

#### (क) मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिपरिषद् की बैठक विषयक कार्य।
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह विभागों से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्रों का अनुश्रवण एवं आनुसंगिक कार्यवाई।
3. सरकारी विभागों के कार्मिक कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदनों का समन्वय।
4. विकास आयुक्त द्वारा निबन्धित जाने वाले विषयों से भिन्न सचिवालय स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय।
5. कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव के कृत्य और कर्तव्य संबंधी कार्य तथा मुख्य सचिव की स्थापना।
6. कार्यपालिका नियमावली का पठन, संशोधन तथा व्याख्या।
7. राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संदर्भ।
8. राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
9. मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।
10. मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अवर आप्त सचिवों की नियुक्ति।
11. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों की परिलब्धियों।
12. मुख्यमंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
13. राज्य कर्मियों के सेवा संघों की मान्यता।
14. भारत सरकार अन्तर्गत अन्य राज्यों के मंत्रियों, उच्च पदाधिकारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के आतिथ्य सम्बन्धी कार्य।
15. आतिथ्य स्तरकार तथा उससे संबंधित स्टाफ-कारों की व्यवस्था एवं उनका संचारण।
16. राजचिन्ह, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रध्वज।
17. राज्य समारोहों का आयोजन।
18. गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों का आयोजन।
19. राज्य अन्त्येष्टि।
20. राज्य अतिथिशाला (पटना परिसर में अति महान आगन्तुक कक्ष के साथ)।
21. बिहार भवन एवं बिहार निवास।
22. सचिवालय ग्रन्थागार।
23. राज्य अभिलेखागार।
24. बिहार राज्य नागरिक परिषद्।

#### (ख) सिविल विमानन

25. सरकारी वायुयान, हेलिकोप्टर इत्यादि की खरीदारी, संचारण तथा उनकी उड़ान से सम्बन्धित सभी कार्य।
26. राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियमन और संगठन।
27. बिहार उड्डयन संस्थान।
28. वैमानिक प्रशिक्षण तथा उसका विनियमन।

### (ग) राजभाषा

29. राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन एवं समन्वय संबंधी कार्य।
30. गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।
31. हिन्दी में सरकारी काम-काज प्रोत्साहित करने के लिये शब्दावली तथा मार्ग दर्शक साहित्य की संरचना, संकलन एवं प्रकाशन।
32. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, सम्पृष्टि तथा प्रोन्नति के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की स्थिति का निर्धारण।
33. सरकारी सेवकों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।
34. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।
35. बिहार राज्य हिन्दी प्रगति समिति तथा अन्य परामर्शदातृ समितियाँ।

### (घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन

36. 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन संबंधी समन्वय और मॉनिटरिंग।
37. सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों का समन्वय तथा अनुश्रवण।
38. जन शिकायत कोषांग।

### 2. संसदीय कार्य विभाग

1. विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना।
2. विधान-सभा एवं विधान परिषद् के का आह्वान और सत्रावसान करना।
3. राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के सत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
4. विधान सभा एवं विधान परिषद् में विधानी एवं अन्य सरकारी कार्यों का आयोजन एवं समन्वय।
5. विभिन्न विभागों से संबंधित विधान मंडल के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियों का गठन एवं उनका क्रियान्वयन।
6. विभागों द्वारा विधान मंडल के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों।
7. विभागों द्वारा विधान-मंडल के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं कार्यस्थगन प्रस्तावों के उत्तर, आश्वासनों के कार्यान्वयन इत्यादि का अनुश्रवण करना एवं विभिन्न विभागों के बीच इस कार्य हेतु समन्वय स्थापित करना।
8. विधान मंडल की समितियों द्वारा की गई अनुसंशाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय करना।
9. विधान मंडल के सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं प्रभृतियों से संबंधित मामलों तथा संसदीय प्रणाली और कार्य के संबंध में परामर्श देना।
10. विधान-मंडल के सदस्यों, पीठासीन पदाधिकारियों एवं उप-पीठासीन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा अन्य परिलब्धियों से संबंधित सभी कार्य।
11. विभिन्न दलों के नेताओं एवं सचेतकों के साथ सम्पर्क करना।
12. विधान-सभा एवं विधान परिषद् के पटल पर विभिन्न प्रतिवेदनों का विभागों के द्वारा रखा जाना।
13. गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संसूचित प्रस्तावों पर सदन में वाद-विवाद के लिये सरकारी समय का आवंटन करना।
14. सरकार द्वारा गठित समितियों तथा निकायों के लिए विधान-मंडल के सदस्यों के मनोनयन पर सहमति प्रदान करना।

### 3. निगरानी विभाग

1. निगरानी तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सभी कार्य।
2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तथा तकनीकी परीक्षक कोषांग का प्रशासकीय नियन्त्रण।
3. विभागीय निगरानी प्रकोष्ठों के साथ समन्वय तथा उनके द्वारा किये जा रहे निगरानी कार्यों की समीक्षा।

#### 4. निर्वाचन विभाग

1. संसदीय निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्य।
2. राज्य विधान मंडल के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्य।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3) (ई०) तथा 333 के अधीन विधान परिषद् विधान सभा के लिये सदस्यों के मनोनयन से सम्बन्धित सभी कार्य।
4. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन किये जाने वाले सभी कार्य, यथा, मतदाता सूची का निर्माण, पुनरीक्षण, संधारण इत्यादि।

#### 5. गृह विभाग (क) विशेष शाखा

1. (I) आन्तरिक सुरक्षा।  
(II) प्रतिरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य निवारक निरोध।  
(III) जन आन्दोलनों तथा जन प्रतिरोधों के सम्बन्ध में आँकड़ों का संग्रहण।
2. नेपाल से संबंधित मामले।
3. विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये संचार माध्यमों का अनुश्रवण।
4. सामान्य राजनैतिक विषय और सार्वजनिक सामान्य राजनैतिक क्रिया-कलाप।
5. विधि व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था।
6. केन्द्रीय सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति।
7. राज्य की सीमाओं तथा क्षेत्राधिकार में परिवर्तन।
8. राज्य और राजनैतिक कैदी।
9. आन्तरिक सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त समाचार-पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशित सामग्रियों एवं मुद्रणालयों की निगरानी एवं उनकी जाँच-परख।
10. गृह-रक्षा वाहिनी।
11. मिशनरी कार्य में लगी समितियों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें इस हेतु प्रमाण-पत्र देना।
12. पार-पत्र एवं प्रवेश-पत्र।
13. दफन और कब्रिस्तान, दाह-संस्कार और श्मशान।
14. जांच आयोग अधिनियम का प्रशासन।
15. सचिवालय सुरक्षा, आतिथ्य कार्यालय एवं स्वागत कार्य।
16. राजनीतिक पीड़ितों को पंशन।
17. व्यक्ति विशेष के नाम में परिवर्तन।
18. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (अन्तर राज्य परिषद् सहित)।
19. राष्ट्रीय एकीकरण।
20. सचिवालय अवधाय स्थापना।
21. कब्रिस्तानों की घेराबंदी।
22. दूरमुद्रण सेवा।
23. डाक और तार, टेलीफोन और बतार (राज्य पुलिस बतार सहित)।
24. मानवाधिकार संबंधी सभी कार्य।

#### (ख) कारा

25. कारा प्रशासन से संबंधित सभी मामले तथा कारा उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।
26. कारा निदेशालय तथा महानिरीक्षक, कारा का प्रशासनिक नियंत्रण।
27. कारा प्रशासन में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।



28. कारा प्रशासन के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
29. कैदियों तथा निवारक-निरोध कानूनों के अधीन रखे गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तान्तरण।

(ग) आरक्षी शाखा

30. आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला-बारुद।
31. पुलिस, रेलवे पुलिस, ग्राम पुलिस एवं विशेष पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण।
32. पुलिस थानों, चौकियों आदि के क्षेत्राधिकार का निर्धारण एवं परिवर्तन।
33. अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध किये गये अत्याचारों के अन्वेषणादि के लिये विशेष थानों की स्थापना।
34. बाजी और जुए का विनियमन।
35. विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
36. आन्तरिक सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था की दृष्टि से रंगशाला (थियेटर) और नाट्य-अभिनय संस्थानों का नियंत्रण।
37. राज्य पुलिस बेटार।
38. विस्फोटक।
39. बिहार के भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनकी सहायता।
40. आरक्षी भवन निर्माण निगम।
41. विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
42. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
43. केन्द्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनिधित्व एवं समन्वय।
44. भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों का नियंत्रण एवं पदस्थापन।
45. बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों का नियंत्रण एवं पदस्थापन।

(घ) सामान्य शाखा

46. राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सैनिक या सशस्त्र पुलिस से भिन्न भारतीय सेना और वायु सेना अथवा भारत में गठित किसी अन्य सैन्य दल (फोर्स) से संबंधित सभी विषय।
47. आपातकालीन स्थितियों (उपद्रव, वाद, सुखाड़ इत्यादि) के प्रबन्धन हेतु रक्षा सेनाओं को बुलाना।
48. सेना, वायु सेना एवं जल सेना से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं सहायता।
49. परराष्ट्र (विदेशी) मामले, जिनमें देशीकरण और अन्य देशीय मामले भी शामिल हैं।
50. भारत से बाहर तीर्थयात्रा।
51. केन्द्रीय राजस्व से देय राजनीतिक पेंशन और अन्य राजनीतिक व्यवहार।
52. भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के अन्तर्गत आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में स्वयं की उपस्थिति से छूट दिलाने वाले आदेशों का निर्गमन।
53. देश प्रत्यावर्तन।
54. सराय, होटल तथा ऐसे ही अन्य सार्वजनिक पड़ाव के स्थानों पर विधि एवं व्यवस्था की दृष्टिकोण से नजर रखना।
55. बोधगथा टेम्पल मैनेजमेंट ऐक्ट का प्रशासन।
56. आगरिकता।
57. सैनिक महाविद्यालय, दरभंगा में प्रवेश।
58. ध्वनि-विस्तारक बलों के दुरुपयोग पर नियंत्रण।
59. रेलवे स्टेशन का नामकरण।
60. साम्प्रदायिक/हिंसा की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं मुआवजा।
61. उग्रवादी/आतंकवादी तथा अपराधियों का प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास।
62. शांति स्थापना हेतु केन्द्र या अन्य सरकारी एजेंसियों से समेकित सहायता पैकेज प्राप्त करना तथा उसका प्रबन्धन।